

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 23.03.2021

थाना अकबरपुर

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 364/20 धारा 269/271 भा0द0वि0 में वारंटी अभियुक्त राहुल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 143/20 धारा 135(1) वि0 अधि0 में वारंटी अभियुक्त राजेश कश्यप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 109/05 धारा 373/506 भा0द0वि0 में वारंटी अभियुक्तगण पप्पू आदि 03 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 376/11 धारा 135(1) वि0 अधि0 में वारंटी अभियुक्त अल्ताफ हुसैन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(5)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 370/09 धारा 363/366/373 भा0द0वि0 में वारंटी अभियुक्त विश्वनाथ प्रताप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(6)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 210/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त खुशीलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(7)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 211/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त मुनेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(8)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 212/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 में अभियुक्त अवधेश कुमार कठेरिया को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(9)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 214/21 धारा 13 जुआ अधि0 में अभियुक्तगण राजन आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 150/21 धारा 216ए भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण शाहजहाँ बेगम आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरौर

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 24/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना शिवली

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 98/21 धारा 376(2)/313/504/506/120बी भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त जयपाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 104/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त अजय को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मंगलपुर

दिनांक 22.03.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 124/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त राज उर्फ नितिन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।